न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : **114/2020**
GCMSNo.- : **2020/00264**

-: वादीगण :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

वादीगण:

1. चम्पालाल पुत्र गुलाराम, जाति मेघवाल, निवासी गांव बाइसा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली(राज.)
2. अरविन्दकुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया जाति रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज.)

प्रतिवादीगण:

1. बंशीराम पुत्र मोतीराम कौम नायक साकिन ढाणी . भीवगढ
2. सुरेश पुत्र बाबू
3. सोहनी पुत्रि बाबू
4. डूंगाराम पुत्र तेजा
5. गजराई पत्नि नंदा
6. श्रवण कंवर पुत्रि नंदा
7. मदन पुत्र बाला
8. छोटु पुत्र बाला
9. काना पुत्र बाला
10. राधा पुत्रि बाला कौम नायक साकिनढाणी .भीवगढ।
11. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

दावा बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.23/10/2020**

उपस्थित:. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:– 23/06/2021**

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 2090 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा किस्म सेवज अव्वल एवं खसरा नम्बर 2091 रकबा 14 बीघा 00 बिस्वा किस्म सेवज दोयम कुल खसरा 2 कुल रकबा 20 बीघा 18 बिस्वाकी आई हुई है उक्त खसरे की भूमि में वादी1/4 हिस्से यानि 5 बीघा 04 बिस्वा 10 भूमिपर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण [illegible] काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य [illegible] के भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त [illegible] वादीव प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि एक खाते के रुप में शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है। तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वर्तमान जमाबन्दीसम्वत 2072 से

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:08 IST
Reason: SelfAttested

2075 की व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि वादीएवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीएवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है । परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीके साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादी की खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं वादीको हर समय उनके हक हिस्से की भुमि से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर वादीएवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागना काश्त करते चले आ रहे है। वादी की वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि 1/4 हिस्से यानि 5 बीघा 04 बिस्वा 10 बिस्वांसीभूमि मौके पर बंटी हुई है। वादीका अलग सें कब्जा व काश्त हैवादीने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम करने का तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाडा करवाने सें दिनांक 30.09. 2020 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई काननी अधिकार नही हैवादी अपनी भूमि का बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाने का अधिकारी है इसलिए दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बाद तकास्मा आराजी वादीअपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने के अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है यदिप्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीको असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है, प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीको बार बार फौजदारी मुकदमें करने पडगे। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफप्रोसिंडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 11तहसीलदार साहब, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जो बंटवाडे के वाद मे आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी [illegible] किया गया है उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है [illegible] दिनांक 30.09. 2020को वादीद्वारा प्रतिवादीगण कोवादीगण के हिस्से की भूमि [illegible] एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा [illegible] करनेएवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादीको उनके हक हिस्से व कब्जे की भुमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम भीवंगढ (रास) तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न हुआ जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिगण संख्या 01 से 10 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बहस वकील वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम भींवगढ़ सम्वत् 2072-2075 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 2090 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा किस्म सेवज अव्वल एवं खसरा नम्बर 2091 रकबा 14 बीघा 00 बिस्वा किस्म सेवज दोयम में वादीगण के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डर के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2090 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा किस्म सेवज अव्वल एवं खसरा नम्बर 2091 रकबा 14 बीघा 00 बिस्वा किस्म सेवज दोयम में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/61 दिनांक 22/01/2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/1525 दिनांक 16/06/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। [illegible] माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:08 IST
Reason: SelfAttested

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन, खसरा

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

नम्बर 2090 रकबा 06-18 बीघा किस्म सेवज अव्वल एवं खसरा नम्बर 2091 रकबा 14-00 बीघा किस्म सेवज दोयम भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा-बि0	किस्म	लगान
1	चम्पालाल पुत्र गुलाराम कौम मेगवाल सा.बाड़.सा तहसील-मारवाड़,जक्शन जिला- पाली हि.3/4, अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया कौम रेगर सा.अम्बेडकर कोलोनी ,राजमहल होटल के पीछे ब्यावर जिला-अजमेर खातेदार हि.1/4 खातेदार।	2090 2090/2 2091 2091/3	01-00 00-15 03-00 00-10	से0 अ0 से0 अ0 से0 दो0 से0 दो0	1.0 0.75 3.0 0.50
		4	05-05		5.25
2	बंशीलाल पुत्र मोतीराम हि.1/4, सुरेश पुत्र बाबू हि.1/24, सोहनी पुत्री बाबू हि.1/24, डुंगाराम पुत्र तेजाराम हि. 1/3, गजराई पत्नि नंदा हि. 1/12,श्रवण कंवर पुत्री नंदा हि. 1/12,मदन पुत्र बाला हि.1/24,छोटु पुत्र बाला हि.1/24,काना पुत्र बाला हि.1/24,राधा पुत्री बाला हि. 1/24,कौम नायक सा.ढाणी भीवगढ खातेदार।	2090/1 2091/2	05-03 10-10	से0 अ0 से0 दो0	05.03 10.50
		2	15-13		15.53

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 23/06/2021 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादीगण :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

वादीगण

1. चम्पालाल पुत्र गुलाराम, जाति मेघवाल, निवासी गांव बाड़सा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली(राज.)
2. अरविन्दकुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया जाति रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजेमर (राज.)

प्रतिवादीगण

1. बंशीराम पुत्र मोतीराम कौम नायक साकिन ढाणी भीवगढ
2. सुरेश पुत्र बाबू
3. सोहनी पुत्रि बाबू
4. डूंगाराम पुत्र तेजा
5. गजराई पत्नि नंदा
6. श्रवण कंवर पुत्रि नंदा
7. मदन पुत्र बाला
8. छोटु पुत्र बाला
9. काना पुत्र बाला
10. राधा पुत्रि बाला कौम नायक साकिनढाणी .भीवगढ।
11. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 114/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2090 रकबा 06-18 बीघा किस्म सेवज अव्वल एवं खसरा नम्बर 2091 रकबा 14-00 बीघा किस्म सेवज दोयम भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा-बि0	किस्म	लगाान
1	चम्पालाल पुत्र गुलाराम कौम मेगवाल सा.बाड.सा तहसील-मारवाड.जक्शन जिला- पाली हि.3/4, अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया कौम रेगर सा.अम्बडेकर कोलोनी ,राजमहल होटल के पीछे ब्यावर जिला-अजमेर खातेदार हि.1/4 खातेदार।	2090 2090/2 2091 2091/[illegible]	01-00 00-15 03-00 [illegible]	से0 अ0 [illegible] से0 दो0 [illegible]	1.0 0.75 3.0 0.50
		4	05-05		5.25
2	बंशीलाल पुत्र मोतीराम हि.1/4, सुरेश पुत्र बाबू हि.1/24, सोहनी पुत्री बाबू हि.1/24, डुंगाराम पुत्र तेजाराम हि.	2090/1 2091/2	05-03 10-10	से0 अ0 से0 दो0	05.03 10.50
		2	15-13		15.53

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

	1/3, गजराई पत्नि नंदा हि. 1/12,श्रवण कंवर पुत्री नंदा हि. 1/12,मदन पुत्र बाला हि.1/24,छोटु पुत्र बाला हि.1/24,काना पुत्र बाला हि.1/24,राधा पुत्री बाला हि. 1/24,कौम नायक सा.ढाणी भीवगढ खातेदार।				

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 23/06/2021 को जारी किया गया ।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

मोहर ... अधिकारी ... पाली

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02–	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01–	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	/		महनताना वकील	/	
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02–	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	/		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	05	00	मिजानः–	–Nil–	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा मय सूद हो फ... चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:51:08 IST
Reason: SelfAttested